"सबला" महिला पंचायत ने मामला यों सुलझाया

19 वर्ष की कौशल्या कुमारी अपने माता–पिता व भाई–बहनों के साथ मदनगीर, दिल्ली में रहती है। मां–बाप ने 24 जून 1994 को उसकी सगाई धूमधाम से 24 बर्षीय ओमप्रकाश, निवासी उत्तमनगर, दिल्ली से कर दी। सारी रसम में पंद्रह हजार रुपए खर्च किए।

शादी की तारीख 3 मार्च 1995 तय हुई थी। कौशल्या के पिता ने उसी समय कहा कि मार्च में तो बच्चों की परीक्षा होगी। इस कारण शादी की तारीख बदल दी जाए। उस समय तो लड़के वाले मान गए और कहा कि "ठीक है आप ही तारीख तय करके बताना। आप जब भी कहेंगे हम शादी करने को तैयार हैं।"

कौशल्या के घरवाले उसी विश्वास पर इत्मीनान में हो गए। अचानक एक दिन झटका लगा। सुना कि जिस लड़के से कौशल्या का ब्याह तय हुआ था उसकी शादी किसी दूसरी जगह 14 अप्रैल '95 को होने जा रही है। 5 अप्रैल को कौशल्या व उसके माता–पिता शिकायत लेकर "सबला महिला पंचायत" के पास आए। महिला पंचायत ने तय किया कि "हम 11 अप्रैल को लड़के वालों के घर जलूस लेकर जाएंगे। शादी सचमुच होने जा रही है। इसके सबूत के लिए निमंत्रण–कार्ड लेकर आओ।"

चारों इलाकों, जहांगीर पुरी, नंदनगरी, सीमापुरी व दक्षिणपुरी की सबला संघ की लगभग 35 बहनें ओमप्रकाश के घर पहुंचीं। पुलिस ने भी उनका साथ दिया। वे साथ में पोस्टर व बैनर भी ले गई थीं। लड़के वालों को उन्होंने 13 अप्रैल को सबला पंचायत के दफ्तर में बुलाया और यह भी कहा कि साथ में पंद्रह हजार रुपए जो सगाई में खर्च हुए थे वे भी लेकर आना।

ओमप्रकाश के घर वालों ने कहा कि 4 दिन शादी के बचे हैं। हमारे पास इतना पैसा कहां है। सबला पंचायत की बहनों ने कहा, "हम यह सब कुछ नहीं जानते। आपको रुपए समेत आना है।" लड़के ने कहा, "हम चोर नहीं हैं कि मकान छोड़कर भाग जाएंगे। जरूर आएंगे।"

फैसले का दिन

10 बजे का समय तय किया गया था, लेकिन सुबह 8 बजे से ही लड़के के चाचा तथा पड़ोसी दफ्तर के आस–पास चक्कर लगाने लगे। 10 बजे कौशल्या के मां-बाप व पड़ोस की बहनें आईं। लड़के वालों ने कौशल्या के पिता को पूरे 15056 रुपए दिए। सबला पंचायत द्वारा लिखा–पढ़ी की गई। उन्होंने 51 रूपए महिला पंचायत को भी अपनी ओर से दिए और हाथ जोड़कर क्षमा भी मांगी। कहा–कोर्ट कचहरी में पता नहीं कितना

हम शहरी लोग सोचते हैं कि आज सामाजिक बहिष्कार कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी शहरी बस्तियों में जहां अधिकतर गांव से आए लोग बसे हैं इसका दबाव है। नन्द नगरी की राजरानी की बेटी तथा दक्षिणपुरी की विमला जिन्हें ससुराल में जलाया गया, सीमापुरी में बढ़ती हुई बलात्कार की घटनाओं के साथ बहनों ने मिलकर प्रदर्शन व सामाजिक बहिष्कार की आवाज़ उठाई। सबला संघ ने यह भी महसूस किया कि कानूनी सज़ा ही काफ़ी नहीं है। सामाजिक बहिष्कार भी साथ में होना ज़रूरी है। ''सामाजिक बहिष्कार करने में लोगों की भागीदारी व ताक़त का अहसास तब हुआ जब सीमापुरी में मई, 1994 में लोगों ने एक व्यक्ति की आधी मूंछ व सिर के आधे बाल काट कर बस्ती में घुमाया। इससे लोगों को अपनी ताक़त का अहसास हुआ कि हम भी सज़ा दे सकते हैं।''

खर्च होता। कौशल्या के घरवालों ने भी महिला पंचायत को 500 रूपए दिए।

महिला पंचायत में जब फैसला हो रहा था उसी समय दूसरी लड़की के रिश्तेदार (जहां ओमप्रकाश का दोबारा रिश्ता तय हुआ था) वहां आ गए। वे कहने लगे कि "महिला पंचायत ने हमारी भी आंखें खोल दी हैं और हम ऐसे धोखेबाज़ों के यहां रिश्ता नहीं करेंगे।"

ओमप्रकाश की शादी वहां भी नहीं हुई। वहां आए सभी लोगों ने महिला पंचायत की सराहना की और दूसरे इलाकों में भी महिला पंचायत बनाने की इच्छा प्रकट की।

बड़े-बूढ़ों की देखभाल

एक दूसरी तरह का मामला भी सबला पंचायत ने अप्रैल '95 में सुलझाया। यह मामला ग्याली देवी लाईं। ग्याली देवी व उनके पति अपने बेटे राजेसिंह के पास मीठापुर में रह रहे थे।

काफी दिनों से राजेसिंह अपने बूढ़े मां-बाप को खर्चा नहीं देता था और मारता-पीटता भी था। बेटे के व्यवहार से तंग आकर ग्याली देवी व उनके पति अपनी बेटी राजेश्वरी के पास सुंदर नगरी में रहने आ गए।

ग्याली देवी सबला पंचायत में केस पंद्रह अप्रैल को लेकर आईं। दूसरे दिन ही सबला संघ की बहनें ग्याली देवी, उनके पति व बेटी राजेश्वरी को साथ लेकर बेटे राजेसिंह के दफ्तर कनाट प्लेस पहुंचीं।

राजेसिंह से बात की तो वह बोला कि "यह मेरे मां–बाप नहीं हैं।" उसे काफी समझाया। जब वह नहीं माना तो उसके ऊपर के अफसर से बात की। उन्होंने भी राजेसिंह को समझाया। काफी बहसा–बहसी हुई। फिर तय हुआ कि शनिवार 22.4.95 को मीठापुर, राजेसिंह के घर जाकर पूरी बात होगी। राजेसिंह ने भी कहा "हमारे घर आइए, फैसला वहीं होगा।"

22 तारीख को सबला संघ की बहनें, राजेश्वरी, ग्याली देवी व उनके पति के साथ राजेसिंह के घर पहुंची। राजेसिंह के यहां आस-पास के तथा उसकी बिरादरी के और लोग भी जमा हो गए।

ग्याली देवी व उनके पति गांव जाना चाहते थे मगर उनके पास किराए–खर्चे के पैसे भी नहीं थे। राजेसिंह ने खर्चा देने से इंकार किया। काफी समझाने पर वह अपने मां–बाप को साथ रखने को तैयार हो गया। हमारे समझाने व जोर देने पर उसने लिखित में दिया कि "अब मैं अपने मां–बाप को ठीक रखूंगा। उनकी सही तरीके से देखभाल करूंगा। व खर्चा दूंगा। अगर मैं यह सब नहीं कर सका और आपके पास कोई शिकायत पहुंची तो आप मेरे ऊपर कोई भी कार्यवाही कर सकते हैं। मैं 15 दिन में एक बार आपके दफ्तर भी आऊंगा। 15 दिन में सबला संघ, के लोग भी मेरे यहां आकर देखें।"

सबला संघ राजेश्वरी से उनके मां-बाप का हाल लेती रहती हैं। बेटी ने बताया कि अभी तो राजेसिंह उनको ठीक से रख रहा है। उनसे कुछ नहीं कहता, उल्टे उनसे डरता है।

एक महीने बाद ग्याली देवी अपने पति के साथ सबला संघ के दफ्तर आईं और बताया कि "अब हम खुश हैं। बेटा तंग नहीं करता। हमारी इज्जत करता है। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफी मांग लेता है। हमें अब कोई परेशानी नहीं है। आप लोगों के जाने से ही यह सब कुछ संभव हो सका है।"

प्रस्तुति–सुहास कुमार

"सबला संघ"

"सबला संघ" दिल्ली की चार पुनर्वास बस्तियों—जहांगीरपुरी, नन्दनगरी, सीमापुरी, दक्षिणपुरी—में सक्रिय हैं। संघ ने लगभग दो साल से इन क्षेत्रों में महिला पंचायतों का गठन शुरू किया। ये पंचायतें तरह-तरह के पारिवारिक मामले सफलता पूर्वक सुलझा रही हैं। इनके मुख्य हथियार हैं सामाजिक बहिष्कार का दबाव, स्थानीय लोगों की भागीदारी, कानूनी जानकारी और एकजुट होकर कदम बढ़ाना।